	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 13, शुक्रवार, शाके 1942–सितम्बर 4, 2020 *Bhadra 13, Friday, Saka 1942–September 4, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 07, 2020

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं-

निर्देश

क्रमांक एफ.13(20)डीओपी/ए- II/91 पार्ट:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूँ कि-

संशोधन.- कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पदोन्नति हेतु जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4.7.2016 की प्रस्तावना में-

विद्यमान अभिव्यक्ति ''भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80-एल-1 दिनांक 12-02-81'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''भारत सरकार की अधिसूचना संख्या प.सं. 1(31)/2017-वि.1 दिनांक 19.5.18'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

ये निर्देश दिनांक 19.5.18 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।''

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

5645

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।